

प्रेषक,

राम लखन सिंह चन्द्रौल,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट नं०-1, चित्रकूट

सेवा में,

उपनिबंधक (एडमिन ए-1)  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा- जनपद न्यायाधीश,  
चित्रकूट

विषय: सामान्य भविष्य निधि सं०-एल०जे०यू० 22741 से अपनी पुत्री कु०रश्मी सिंह के विवाह की पूर्ति हेतु मु०-20,00,000/-रु० अंतिम निष्कासन स्वीकृति के सम्बन्ध में की गई आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरे द्वारा सामान्य भविष्य निधि हेतु लिए जाने वाले स्थाई अग्रिम के सम्बन्ध में प्रेषित आवेदन पत्र पर जरिए ई-मेल ई-सर्विस माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है:-

1. सामान्य भविष्य निधि पासबुक में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति की तिथि 07.08.1999 अंकित कर दी गई है, जब कि इसके पूर्व 25.07.1997 अंकित था, जो पूर्व सेवा की नियुक्ति तिथि थी, जिसको सही कर कटिंग सत्यापित कर दी गई है।

2. सामान्य भविष्य निधि सं०-एल०जे०यू० 22741 में जमा कुल धनराशि का आंगणन तैयार कर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से सत्यापित करा दिया गया है।

3. मेरे द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र स्थाई अग्रिम से सम्बन्धित है, जिसमें मेरी पुत्री कु०रश्मी सिंह का विवाह 25 अप्रैल 2020 को होना तय है, जिसके लिए उक्त रूपयों की आवश्यकता है। मैं दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 के नियम 16(3) के प्रावधान के अनुसार विशेष मामलों में, जिसमें ऐसे प्रत्याहरण की स्वीकृति अपरिहार्य हो, उसे स्वीकृत किया जा सकता है। मेरे द्वारा पुत्री के विवाह की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष परिस्थितियों में यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. मेरे द्वारा सामान्य भविष्य निधि खाता सं०-एल०जे०यू० 22741 से पूर्ण सेवाकाल के दौरान आज तक कोई स्थाई अथवा अस्थाई अग्रिम नहीं लिया गया है, न ही कोई वसूली शेष है। मेरे द्वारा पुत्री के विवाह की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष परिस्थितियों में यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार आपत्ति निराकरण कर आपके पास पुनः स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य रखते हुए विशेष परिस्थिति में स्थाई अग्रिम स्वीकृत कराने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 04.11.2019

भवदीय

(राम लखन सिंह चन्द्रौल)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट नं०-1, चित्रकूट

Office of the District Judge, Chitrakoot  
Letter No. 13191 /Admin. Sec./District Judge/Chitrakoot, 5-11-19

Forwarded

District Judge  
Chitrakoot

# महत्वपूर्ण ब्यौरे

अभिदाता का नाम रागलखन सिंह चन्दौला

पद ... खिविज जजा (बुठ डिवीज) इजेंसी

महत्वकाय, ३० प्र. ३२२ १- ६३५/२२३४१

आवृत्ति भाव्य निवाह निधि २- ...

लेखा सं० (संख्याओं) ३- ...

विभाग प्रधिकारी द्वारा आवृत्ति  
 भाव्य निवाह निधि लेखा संख्या आदि  
 कोई भी अतिरिक्त दि जाने का निमत  
 कोडों में दिया जायेगा।

पास-बुक जारी करने वाले अधिकारी  
 के हस्ताक्षर व नाम तथा मुहर

20/11/1999

जिला जज  
 काँसा

25/11/1999

पास-बुक जारी किये जाने का निमित्त

# अभिदाता का निजी विवरण [Bio-Data]

1. नाम तथा पद श्री रागलखन सिंह चन्दौला

2. पितृनाम का नाम श्री दुवलखन सिंह चन्दौला

3. जन्म तिथि 05.04.1960 (पंच अथुल डन्नीससोसाह) J.P.

4. (क) स्थाई पता ग्राम-घाटईपूर, पोस्टनरसिंहपुर  
 वसवहा (खाना) जनपद फतेहपुर (उ.प्र.)

(ख) अस्थायी पता रिपयूजी काशी, सीपी बाजार  
 इजेंसी C-1, काशी (उ.प्र.)

5. उच्च पदवी का स्तर के अतिरिक्त सेवा में प्रवेश का तारीख दिनांक

6. आवृत्ति निवाह निधि में अभिदान प्राप्त होने का दिनांक

07.8.1999

2000

अभिदाता का हस्ताक्षर का नमूना  
 (जिसके अतिरिक्त अधिकारी के किये जायेंगे)

पास-बुक जारी करने वाले अधिकारी का नमूना  
 (जिसके अतिरिक्त अधिकारी के किये जायेंगे)

जिला जज  
 काँसा

25/11/1999

पास-बुक जारी किये जाने का निमित्त

पास-बुक जारी किये जाने का निमित्त

Singh Office  
 JUDGE

धीर  
 16-09-04

10/11/1999  
 10/11/1999


20/11/1999  
 20/11/1999


2/11

सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामलखन सिंह चन्द्रौल, प्रथम अपर जिला जज, चित्रकूट के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल0जे0यू0-22741 में पासबुक के अनुसार निम्नलिखित धनराशि जमा है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष का अभिदान	ब्याज	कुल धनराशि
1	2017-18	3119606	340266	243236	3703108
2	2018-19	3703108	314138	303832	4321078
3	2019-20	4321078	मर्च 019 से सितम्बर 019 तक जमा 175000	---	4496078

  
(रामलखन सिंह चन्द्रौल)  
प्रथम अपर जिला जज  
चित्रकूट।


  
आहरण वितरण अधिकारी  
कृते जिला न्यायाधीश  
चित्रकूट।  
आहरण वितरण अधिकारी  
कृते जिला न्यायाधारा  
चित्रकूट

  
02-11-19  
District Judge  
Chitrakoot

Before Hon'ble Court of Judicature At Allahabad

Undertaking

I, Ram Lakhan Singh Chandraul, Addl. Ditriect Judge Court no. 01, Chittrakoot, undertake to utilize the amount of Rs. 2000000/- (Twenty Lakhs) sanctioned from my GPF account LJU-22741 strictly in meeting out the expenses regarding the marriage of my daughter Km. Rashmi Singh with Mr. Mohit Singh S/0 Shri Satyjit Singh, resident of Village Rampurwa, Dhata District Fatehpur. I also undertake to return any amount found excess, immediately to the authority concerned/ Account.

  
(Ram Lakhan Singh Chandraul)  
Addl. Ditriect Judge  
Court no. 01, Chittrakoot.

  
District Judge  
Chittrakoot